भाकृअनुप-राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान (मानद् विश्वविद्यालय)
ICAR-National Dairy Research Institute (Deemed University)
करनाल, हरियाणा Karnal, Haryana-132001
( राजभाषा एकक / Official Language Unit )
ईमेल hindicell.ndri@icar.gov.in

फा.सं. 12-6/एनडीआरआई/तिमाही बैठक/राजभाषा/2021-22 दिनांक, मार्च, 2022.

# कार्यवृत्त (Minutes)

## राडेअनुसं, करनाल में संपन्न हुई तिमाही हिन्दी बैठक (15.03.2022) का कार्यवृत्त

(Forwarding of the Minutes of the Quarterly Hindi Meeting (15.03.2022) held at NDRI, Karnal)

संस्थान राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष, डा. एम.एस.चौहान की अध्यक्षता में उक्त समिति की 94वीं तिमाही समीक्षा बैठक दिनांक 15.03.2022 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से कोविड संबंधी निर्देशों की पालना के साथ संस्थान के पिनाकी सभा कक्ष में आयोजित की गयी। बैठक में परिशिष्ट 'क' में उल्लिखित संस्थान राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य एवं शीर्षस्थ प्रशासनिक पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक का कार्यवृत्त सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है ताकि संबंधित बिन्दुओं पर अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित कर कृत कार्रवाई से अध्यक्ष को (निदेशक महोदय) को समय से अवगत कराते हुए समिति की अगली बैठक नियत समय पर बुलाई जा सके।

**इसे निदेशक, भाकृअनुप-राडेअनुसं, करनाल के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।**

**संलग्न : उपर्युक्त वर्णित।**

धीरज शर्मा 25/3/22
**(धीरज शर्मा)**
**सदस्य-सचिव**

**वितरण(सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ईमेल के द्वारा) :**

1. निदेशक, भाकृअनुप-राडेअनुसं,करनाल को उनके निजी सचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
2. संयुक्त निदेशक(अनुसंधान), संयुक्त निदेशक(शैक्षणिक), संयुक्त निदेशक(प्रशा.)/कुलसचिव, वित्त नियंत्रक, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(वरिष्ठ ग्रेड), मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी/सहायक प्रशासनिक अधिकारी, राडेअनुसं, करनाल।
3. सभी प्रभाग एवं अनुभाग के अध्यक्ष/प्रभारी, राडेअनुसं, करनाल।
4. अध्यक्ष, दक्षिण क्षेत्रीय केन्द्र(राडेअनुसं), बेंगलूरू/पूर्वी क्षेत्रीय केन्द्र(राडेअनुसं),कल्याणी, नादिया।
5. निदेशक(राजभाषा), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
6. उप निदेशक(कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय-1,गृह मंत्रालय,राजभाषा विभाग,नई दिल्ली।
7. संस्थान राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य।
8. प्रभारी कंप्यूटर केन्द्र,राडेअनुसं को संस्थान की वेबसाइट/ई-ऑफिस नोटिस बोर्ड पर अपलोडिंग हेतु।

## भाकृअनुप-राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान,करनाल की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 15.03.2022 को संपन्न हुई 94वीं समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

1. संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति के माननीय संयोजक एवं सांसद, श्री प्रदीप टम्टा जी एवं अन्य माननीय सांसदों के द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में दिनांक 22.02.2022 को भाकृअनुप-राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल के राजभाषा (हिन्दी) के कार्यान्वयन के निरीक्षण के दौरान संस्थान के राजभाषा (हिन्दी) की प्रशंसा की गयी। अध्यक्ष महोदय ने संस्थान में राजभाषा (हिन्दी) के प्रचार, प्रसार एवं कार्यान्वयन की दिशा में सभी पदाधिकारियों/ प्रभागाध्यक्षों/ प्रभारियों/ क्षेत्रीय केन्द्रों के अध्यक्षों एवं सभी संवर्ग के कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों एवं संसदीय निरीक्षण को सफल बनाने में उनके अथक प्रयासों एवं सहयोग के लिए उन्हें बधाई दी तथा आगे भी सहयोग प्रदान करते रहने की इच्छा व्यक्त की। **(कार्रवाई : सभी प्रभागाध्यक्ष/प्रभारी/क्षेत्रीय केन्द्राध्यक्ष)**

2. चर्चा के उपरांत भारत सरकार, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली के द्वारा जारी किए गए वार्षिक राजभाषा कार्यक्रम में उल्लिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा परिषद मुख्यालय के द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले अनुदेशों के अनुसार कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। **(कार्रवाई : सभी प्रभागाध्यक्ष/प्रभारी/क्षेत्रीय केन्द्राध्यक्ष)**

3. प्रवीणता प्राप्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उनके शत-प्रतिशत प्रशासनिक कार्य हिंदी में किये जाएं। **(कार्रवाई : सभी प्रभागाध्यक्ष/प्रभारी/क्षेत्रीय केन्द्राध्यक्ष)**

4. परिषद मुख्यालय के निर्देशानुसार संस्थान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की समीक्षा बैठक प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में अर्थात् अप्रैल, जुलाई, अक्तूबर तथा जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में अप्रैल से जून, 2022 अवधि की तिमाही में राजभाषा गतिविधियों के आयोजन हेतु लक्ष्य/कार्यनीति निर्धारित करने के लिए अप्रैल, 2022 माह के प्रथम सप्ताह में तिमाही बैठक आयोजित करने तथा उक्त तिमाही के दौरान अर्जित प्रगति/कृत कार्रवाई पर जुलाई, 2022 माह की समीक्षा बैठक में चर्चा का निर्णय भी लिया गया।**(कार्रवाई : राजभाषा एकक)**

**..................लगातार जारी पृष्ठ 2 पर**

धीरज

5. किसानों को अनुसंधान संबंधी जानकारी एवं प्रशिक्षण हिंदी एवं मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा में प्रदान किये जाएं। चर्चा के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि किसानों एवं संबंधित हितधारकों से संबंधित प्रशिक्षण सामग्री/फोल्डर/लीफलेट/पत्रिकाएं/बैनर/डिस्प्ले बोर्ड आदि द्विभाषी तैयार किए जाएं। यह भी निर्णय लिया गया कि 'ग' क्षेत्र में स्थित बेंगलूरू तथा कल्याणी केन्द्रों के द्वारा उक्त प्रशिक्षण से संबंधित सामग्री आदि त्रिभाषी (क्षेत्रीय भाषा, हिन्दी भाषा व अंग्रेजी भाषा) में तैयार करवाई जाए। **(कार्रवाई : कृषि विज्ञान केन्द्र, डेरी विस्तार प्रभाग, डेरी प्रौद्योगिकी प्रभाग एवं संस्थान के अन्य सभी प्रभाग/अनुभाग तथा दोनों क्षेत्रीय केन्द्र)**

6. वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली कार्यालय से क्रय की गई प्रशासनिक शब्दावली (अंग्रेजी-हिन्दी) की 175 प्रतियां संस्थान के वैज्ञानिकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी के कार्य को सरल बनाने हेतु वितरित की जाएं। चर्चा के उपरांत यह निर्णय भी लिया गया कि जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक शब्दावली जारी की जाती है, वे उसे अपनी डेस्क पर रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसकी सहायता ले सकें। **(कार्रवाई : राजभाषा एकक)**

7. पुस्तकों हेतु निर्धारित राशि का 50% हिस्सा हिंदी पुस्तकों के क्रय पर व्यय किया जाए। **(कार्रवाई : पुस्तकालय सेवाएं अनुभाग)**

8. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के सभी दस्तावेजों-सामान्य प्रकार के दस्तावेज, यथा कार्यालय आदेश, परिपत्र, टेंडर, प्रेस विज्ञप्ति, संविदा एवं करार आदि को अनिवार्यतः द्विभाषी में ही जारी किया जाए। इन्हें संस्थान की वेबसाइट/ई-ऑफिस नोटिस बोर्ड पर द्विभाषीय में ही अपलोड किए जाएं।**(कार्रवाई : सभी प्रभाग/अनुभाग/दोनों क्षेत्रीय केन्द्र/कंप्यूटर केन्द्र)**

9. सभी सेवा-पुस्तिकाओं, रजिस्टरों आदि में प्रविष्टियां अनिवार्य रूप से हिंदी में की जाए। **(कार्रवाई : सहायक प्रशासनिक अधिकारी स्थापना 1, 2, 3 एवं 4)**

10. स्थानांतरण पर कार्यग्रहण करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को संस्थान प्रमुख के द्वारा व्यक्तिशः आदेश जारी किए जाएं। **(कार्रवाई : राजभाषा एकक)**

**..............लगातार जारी पृष्ठ 3 पर**

धीरज

11. जांच बिन्दु/डाक डायरी/डिस्पैच डेस्क पर प्रभारी हिन्दी नियमों का नियमानुसार पालन सुनिश्चित कराएं। चर्चा के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि संस्थान के बाहर हिन्दी भाषी 'क' क्षेत्रों में भेजे जाने वाले सभी पत्रों के अग्रेषण पत्र हिन्दी/द्विभाषी में ही प्रेषित किए जाएंगे। **(कार्रवाई : सहायक प्रशासनिक अधिकारी-स्थापना 5)**

12. राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के तहत हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्यत: हिंदी में ही दिए जाएं तथा साथ ही उनका दस्तावेजीकरण भी सुनिश्चित किया जाए। **(कार्रवाई : सभी प्रभागाध्यक्ष/प्रभारी/क्षेत्रीय केन्द्राध्यक्ष)**

13. प्रभागाध्यक्षों/प्रभारियों से अद्यतन सामग्री प्राप्त कर वेबसाइट पर शीघ्रातिशीघ्र द्विभाषी में अपलोड किये जाएं। **(कार्रवाई : सभी प्रभागाध्यक्ष/प्रभारी/क्षेत्रीय केन्द्राध्यक्ष/राजभाषा एकक)**

14. राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 के अनुसार सभी सामग्री/स्टेशनरी/प्रमाण-पत्र/विजिटिंग कार्ड/डिस्प्ले बोर्ड/बैनर/नामपट्ट आदि को द्विभाषी में प्रयोग किया जाए। **(कार्रवाई : सभी प्रभागाध्यक्ष/प्रभारी/क्षेत्रीय केन्द्राध्यक्ष/राजभाषा एकक)**

15. संस्थान के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी को वर्ष में एक हिन्दी कार्यशाला में सम्मिलित होना अनिवार्य है। इसके लिए सभी प्रभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष समय-समय पर जारी आदेश/परिपत्र को ध्यान में रखकर अपने प्रभाग/अनुभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नामित करें। **(कार्रवाई : सभी प्रभागाध्यक्ष/प्रभारी/क्षेत्रीय केन्द्राध्यक्ष/राजभाषा एकक)**

16. श्री संजय गर्ग, अपर सचिव, डेयर एवं सचिव, आई.सी.ए.आर., भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली के परिपत्र सं. रा.भा.1(6)/2019-हिन्दी दिनांक 25.01.2022 के अनुसरण में माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी की अध्यक्षता में 11.11.2021 को संपन्न हुई संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में निर्णित निम्नलिखित बिन्दुओं पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाए :-

**.............लगातार जारी पृष्ठ 4 पर**

धीरज

- विज्ञापन आदि के व्यय में क्षेत्रीय भाषा में प्रचार-प्रसार हेतु भी यथानुपात धनराशि का प्रावधान किया जाए।
- हिन्दी के रिक्त पदों को भरे जाने के लिए समय-समय पर समुचित ठोस प्रयास किए जाएं।
- राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किए जाने के लिए यथोचित प्रयास किए जाएं।
- हिन्दीतर भाषी क्षेत्रों में हिन्दी का प्रचार-प्रसार बढ़ाए जाने के लिए सक्रिय प्रयास किए जाएं।
- दक्षिण भारत में स्थित संस्थानों(द.क्षे.के. बेंगलूरू) में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाए जाने के लिए प्रयास किए जाएं।

**(कार्रवाई : सभी प्रभागाध्यक्ष/प्रभारी/क्षेत्रीय केन्द्राध्यक्ष/राजभाषा एकक)**

17. <u>चर्चा के उपरांत निर्णित बिन्दु</u> :-

क. वित्त वर्ष 2021-22 की विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं के मूल्यांकन/समिति गठन हेतु अनुवर्ती कार्रवाई की जाए। चर्चा के दौरान यह सामने आया कि विभिन्न हिन्दी प्रोत्साहन प्रतियोगिताओं में प्राय: कुछ कर्मचारी ही शामिल हो रहे हैं। अत: विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं एवं प्रोत्साहन योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा मूल्यांकन समितियों के द्वारा मूल्यांकन के दौरान इस बिन्दु को ध्यान में रखकर सिफारिश करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। **(कार्रवाई : राजभाषा एकक)**

ख. प्रभारी, राजभाषा एकक द्वारा संस्थान के प्रभागों/अनुभागों/केन्द्रों का रूटीन/औचक राजभाषा निरीक्षण जारी रखा जाए तथा निरीक्षण की प्रगति रिपोर्ट समिति के समक्ष चर्चा करने का निर्णय भी लिया गया। **(कार्रवाई : राजभाषा एकक)**

ग. प्रभारी, राजभाषा एकक के द्वारा बेंगलूरू तथा कल्याणी क्षेत्रीय केन्द्रों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा कर पत्र के माध्यम से उन्हें सूचित किया जाना जारी रखा जाए। **(कार्रवाई : राजभाषा एकक)**

घ. संस्थान की आगामी प्रबंध मंडल (बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट) की बैठक की कार्यसूची(एजेण्डा) का प्रस्तुतीकरण(प्रजेन्टेशन) द्विभाषी/हिन्दी में तैयार किया जाए। **(कार्रवाई : संयुक्त निदेशक अनुसंधान एवं संयुक्त निदेशक प्रशासन कार्यालय)**

**..............लगातार जारी पृष्ठ 5 पर**

धीरज

च. विभिन्न परियोजनाओं(Projects) एवं संस्थान बजट के अंतर्गत की जाने वाली भर्ती परीक्षा के संक्षिप्त विज्ञापन तथा अन्य सभी विज्ञापनों जैसे नीलामी, निविदा आमंत्रण आदि को द्विभाषी में तैयार कर ही समाचार पत्रों/वेबसाइट पर प्रकाशित करवाया जाए। **(कार्रवाई : सप्रअ स्था.2, संबंधित पी.आई., केन्द्रीय भंडार, क्रय अनुभाग)**

छ. वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान संस्थान के द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर की हिन्दी तकनीकी वैज्ञानिक संगोष्ठी आयोजित करने का प्रस्ताव अलग से सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाए, जिसमें ज्ञान, विज्ञान एवं अनुसंधान में हिन्दी के योगदान या अन्य विषयों पर संबंधित विशेषज्ञों के व्याख्यान आयोजित किए जा सकते हैं। **(कार्रवाई : राजभाषा एकक एवं अन्य नामित प्रभाग)**

ज. सरकारी कामकाज के दौरान मंत्रालयिक एवं अन्य कर्मचारियों के द्वारा तैयार की जाने वाली हिन्दी नोटिंग आदि में नियमों आदि के हिन्दी में उल्लेख करने के दौरान किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या से बचने के लिए यथोचित मात्रा में हिन्दी भाषा में उपलब्ध नियमों की पुस्तकें जैसे स्वामी हैंडबुक, बाहरी या अन्य मानक हिन्दी प्रकाशन की नियम पुस्तकें पर्याप्त संख्या में खरीद कर संबंधितों को जारी की जाएं। **(कार्रवाई : राजभाषा एकक एवं पुस्तकालय सेवाएं अनुभाग)**

**चर्चा हेतु अन्य कोई मुद्दा न होने पर धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।**

धीरज शर्मा
25/3/22
**(धीरज शर्मा)**
**प्रभारी, राजभाषा एकक**

परिशिष्ट 'क'

**भाकृअनुप-राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल की संस्थान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 15.03.2022 को संपन्न हुई 94वीं तिमाही समीक्षा बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची**

| क्र.सं. | नाम एवं पदनाम | बैठक में क्षमता |
|---|---|---|
| 1 | डा. एम.एस. चौहान, निदेशक | अध्यक्ष |
| 2 | डा. धीर सिंह, संयुक्त निदेशक(अनुसंधान) | सदस्य |
| 3 | श्री के.एल. मीणा, मुप्रअ(वरि.ग्रेड)/ संयुक्त निदेशक(प्रशा.) कार्यकारी | सदस्य |
| 4 | श्री विवेक पुरवार, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी | उपाध्यक्ष |
| 5 | श्री जगदीश चन्द्र, वित्त नियंत्रक कार्यकारी | सदस्य |
| 6 | डा. लता सबीखी, प्रधान वैज्ञानिक, डेरी प्रौद्योगिकी प्रभाग | सदस्य |
| 7 | डा. अनिल कुमार पूनिया, प्रधान वैज्ञानिक/अध्यक्ष, पुस्तकालय | सदस्य |
| 8 | डा. उदिता चौधरी, वैज्ञानिक(वरि. वेतनमान), प्रभारी, कम्प्यूटर केन्द्र | सदस्य |
| 9 | डा. राजेश कुमार मीना, वैज्ञानिक, सस्य अनुभाग | नामित सदस्य |
| 10 | श्री मुकेश कुमार दुआ, सहा.प्रशा.अधि., स्था.1 | सदस्य |
| 11 | श्री चिरंजी लाल, सहा.प्रशा.अधि., स्था.2 एवं 3 | सदस्य |
| 12 | श्रीमती संतोष कुमारी, सहा.प्रशा.अधि., स्था.4 | सदस्य |
| 13 | श्री धर्म सिंह मीणा, सहा.प्रशा.अधि., स्था.5 | सदस्य |
| 14 | श्री राकेश कुमार, सहायक निदेशक(राजभाषा) | सदस्य |
| 15 | श्री धीरज शर्मा, उप निदेशक(राजभाषा) | सदस्य सचिव |

*****